

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

निर्णय

मिसल नं. :- 03 / 2019

दिनांक 04-12-19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मनोहरिया ने रिपोर्ट (पी - 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्बत 2076 में गैर सायल साकिन समीर खंडूडी पुत्र श्री दुरै खंडूडी जाति बुलभान ने ग्राम मनोहरिया के ख.न. 482 रकबा 1.26 में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपरिथत। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल साकिन समीर खंडूडी पुत्र श्री दुरै खंडूडी जाति बुलभान को ग्राम मनोहरिया के ख.न. 482 रकबा 1.26 में अतिचार करने पर राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 1.00 का 50 गुणा रुपये 83 शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से वेदखली व कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व वेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान असूली बावत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बावत टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-12-19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।

3  
तहसीलदार (राजस्व)  
लूणकरनसर

